



मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 1 ♦ जुलाई 2017

बैंकिंग विनियमन

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्वों को सीमित करना

वित्तीय समावेशन और ग्राहक संरक्षण पर अत्यधिक बल तथा अनधिकृत लेनदेनों जिनके परिणामस्वरूप ग्राहकों के खातों/कार्डों में डेबिट हो जाता है, से संबंधित ग्राहक शिकायतों में हाल की वृद्धि पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2017 को इन परिस्थितियों में ग्राहक दायित्व के निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए जो निम्नानुसार है :

प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण

बैंकों में प्रणालियां और प्रक्रियाएं इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन करते समय सुरक्षित महसूस करें। इसे हासिल करने के लिए बैंकों को निम्नलिखित शुरू करना चाहिए :

- ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं;
- मजबूत और गतिशील धोखाधड़ी पहचान और रोकथाम तंत्र;
- अनधिकृत लेनदेनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिमों (उदाहरण के लिए, बैंक की मौजूदा प्रणालियों में अंतराल) के आकलन और ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व की माप के लिए तंत्र;
- जोखिमों के उपशमन तथा उनसे उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व के विरुद्ध अपने आपको सुरक्षित करने के लिए उचित उपाय; और
- ग्राहकों को निरंतर रूप से और बार-बार सूचित करने के लिए प्रणाली कि वे अपने आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और भुगतान संबंधित धोखाधड़ी से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं।

ग्राहकों द्वारा अनधिकृत लेनदेनों की बैंकों को रिपोर्टिंग

- बैंक अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों हेतु एसएमएस अलर्ट के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने हेतु कहे और जहां उपलब्ध हो वहां ई-मेल अलर्ट के लिए पंजीकरण करें।
- एसएमएस अलर्ट अनिवार्य रूप से ग्राहकों को भेजे जाएं जबकि ई-मेल अलर्ट जहां पंजीकृत है वहां भेजे जा सकते हैं।
- ग्राहकों को सूचित किया जाना चाहिए कि वे ऐसे लेनदेन की घटना होने के बाद शीघ्रताशीघ्र अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के बारे में अपने बैंक को अधिसूचित करें।
- इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को हो चुके अनधिकृत लेनदेनों और/अथवा भुगतान लिखतों जैसे कार्ड आदि की हानि अथवा चोरी की रिपोर्ट करने के लिए बहु-चैनलों (कम से कम वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, ई-मेल, आईवीआर, समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन, होम शाखा को रिपोर्ट करके) के माध्यम से 24 x 7 एक्सेस प्रदान करें।
- बैंक ग्राहकों को समर्थ बनाएं कि वे तुरंत एसएमएस और ई-मेल पर “रिप्लाई” द्वारा जवाब दे सकें।
- हानि/धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली यह भी सुनिश्चित करे कि ग्राहकों को तुरंत जवाब

(स्वतः जवाब सहित) भेजा जाए जिसमें पंजीकृत शिकायत संख्या के साथ शिकायत की प्राप्ति सूचना दी गई हो।

बैंकों द्वारा अलर्ट भेजने और उन पर उनका जवाब प्राप्त करने के लिए संचार प्रणालियां संदेश की डिलीवरी और उन्हें ग्राहक का जवाब, यदि कोई हो, प्राप्त होने के समय और तारीख को अवश्य रिकार्ड करें। यह ग्राहक के दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। बैंक उन ग्राहकों को एटीएम नकदी आहरण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान नहीं करें जो बैंक को मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करते हैं। ग्राहक से अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बैंकों को तुरंत कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस खाते में आगे अनधिकृत लेनदेन को रोका जा सके।

ग्राहक का सीमित दायित्व

(क) ग्राहक का शून्य दायित्व

ग्राहक के शून्य दायित्व की पात्रता उस समय उत्पन्न होगी जब निम्नलिखित स्थिति में अनधिकृत लेनदेन हुआ हो :

- बैंक की तरफ से सहयोगात्मक धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेनदेन रिपोर्ट किया गया हो या नहीं)।
- थर्ड पार्टी उल्लंघन जहां कमी न ही बैंक और न ही ग्राहक की हो बल्कि प्रणाली में कहीं और की हो और ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से प्राप्त संप्रेषण के प्राप्त होने के तीन कार्यदिवसों के अंदर बैंक को अधिसूचित करता है।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्वों को सीमित करना	1
• फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया	2
• भुगतान बैंकों के ग्राहक खातों में जमाशेष	3
• सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के आवेदक	3
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति	3
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
• एमएसएमई के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी में निवेश	3
• वित्तीय साक्षरता के लिए वित्तीय समावेशन निधि से निधिकरण सहायता में संशोधन	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश की समीक्षा की गई	3
सहकारी बैंक विनियमन	
• खातों में प्रविष्टियों के व्योरो को दर्ज करना	4
• गैर-सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ सावधानी	4
गैर बैंकिंग विनियमन	
• पीओपी सेवाएं - एनपीएस के तहत पीएफआरडीए	4
सरकारी और बैंक लेखा	
• एजेंसी कमीशन का भुगतान	4
• जुलाई 2017 में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर दिशानिर्देश/परिपत्र	

(ख) ग्राहक का सीमित दायित्व

ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेनों के कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा:

- उन मामलों में जहां हानि ग्राहक की लापरवाही से होती है जैसे उसने भुगतान प्रत्यय-पत्र साझा कर दिए हों, ग्राहक को पूरी हानि उठानी होगी जब तक वह बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट न करे। कोई भी हानि जो अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बाद हुई है, उसे बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
- उन मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी बैंक और ग्राहक किसी की भी न हो बल्कि प्रणाली में कहीं और की हो और ऐसे लेनदेन को बैंक को अधिसूचित करने में ग्राहक की तरफ से विलंब (बैंक से संप्रेषण प्राप्त होने के चार से सात कार्यदिवसों तक) हुआ हो, तो ग्राहक का प्रति लेनदेन उत्तरदायित्व लेनदेन मूल्य या निर्धारित राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होना चाहिए।

ग्राहक का अधिकतम दायित्व	
खातों के प्रकार	अधिकतम दायित्व (₹)
बीएसबीडी खाता	5,000
अन्य सभी बचत खाते, प्री-पेड भुगतान लिखत और गिफ्ट कार्ड्स, एमएसएमई के चालू/नकद जमा/ओवरड्राफ्ट खाते, वार्षिक औसत बकाया के साथ व्यक्तियों के चालू/नकद जमा/ओवरड्राफ्ट खाते (धोखाधड़ी की घटना से पहले 365 दिनों के दौरान)/ ₹ 25 लाख तक सीमा, ₹ 5 लाख रुपए की सीमा तक के क्रेडिट कार्ड	10,000
अन्य सभी चालू/नकद जमा/ओवरड्राफ्ट खाते, ₹ 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक के क्रेडिट कार्ड तक	25,000

इसके अलावा, अगर रिपोर्टिंग में देरी सात कार्य दिवसों से अधिक होती है, तो ग्राहक का दायित्व बैंक के बोर्ड की स्वीकृत नीति के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। खाता खोलते समय बैंकों को इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में तैयार की गई ग्राहकों के दायित्व के संबंध में अपनी पॉलिसी का विवरण देना चाहिए। व्यापक प्रसार के लिए बैंकों को सार्वजनिक डोमेन में अपनी स्वीकृत नीति भी प्रदर्शित करनी चाहिए। बैंक की नीति के बारे में मौजूदा ग्राहकों को भी व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

तीसरे पक्ष के उल्लंघनों में ग्राहक का कुल दायित्व, जहां कमी न बैंक की न ही ग्राहक की हो, लेकिन सिस्टम में कहीं और स्थित है, का संक्षेप नीचे दिया गया है:

पत्राचार प्राप्त करने की तारीख से धोखाधड़ी लेनदेन को रिपोर्ट करने के लिए लिया गया समय	ग्राहक की दायित्व
3 कार्यदिवस के भीतर	शून्य दायित्व
4 से 7 कार्यदिवस के भीतर	लेन-देन मूल्य या तालिका 1 में उल्लिखित राशि, जो भी कम है
7 कार्यदिवस से ज्यादा	बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार

ग्राहक का शून्य दायित्व/सीमित दायित्व के लिए रिवर्सल समयसीमा

ग्राहक द्वारा अधिसूचित होने पर, बैंक को ग्राहक द्वारा इस तरह की अधिसूचना की तारीख से 10 कार्यदिवसों के भीतर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि (शेडो रिवर्सल) को क्रेडिट करना चाहिए (बीमा दावे के निपटारे का इंतजार किए बिना, यदि कोई हो)। बैंक अपने विवेकानुसार भी, ग्राहक लापरवाही के मामलों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में किसी भी ग्राहक देयता को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं।

क्रेडिट को अनधिकृत लेनदेन की तिथि के अनुसार उस मूल्य का होना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- ग्राहक की शिकायत और देयता का समाधान होना चाहिए, यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर प्रमाणित हो, जैसा कि बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में निर्दिष्ट किया गया हो, लेकिन शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं, और ग्राहक को उपर्युक्त पैराग्राफ 6 से 9 के उपबंधों के अनुसार मुआवजा दिया गया है;
- जहां वह शिकायत को हल करने या ग्राहक देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है, यदि कोई हो, 90 दिन के भीतर, ग्राहक को पैराग्राफ 6 से 9 में निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया जाता है; और
- डेबिट कार्ड/बैंक खातों के संबंध में, ग्राहक को ब्याज की हानि नहीं होती; और क्रेडिट कार्ड के मामले में, ग्राहक ब्याज का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लेता है।

ग्राहक संरक्षण के लिए बोर्ड स्वीकृत नीति

ग्राहक लापरवाही / बैंक लापरवाही / बैंकिंग प्रणाली धोखाधड़ी / तीसरे पक्ष के उल्लंघन के कारण, खाते में अनधिकृत डेबिट से उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट परिदृश्यों में अनधिकृत लेनदेन के मामले में बैंकों को स्पष्ट रूप से ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करना होगा। बैंकों को ग्राहक के संरक्षण के पहलुओं को कवर करने के लिए, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपने ग्राहक संबंधों की नीति तैयार / संशोधित करनी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में शामिल जोखिमों और जिम्मेदारियों पर ग्राहक को जागरूक बनाने की व्यवस्था और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के ऐसे मामलों में ग्राहक दायित्व शामिल हो। यह नीति पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने की कार्यप्रणाली को निर्धारित करना चाहिए और इस तरह के मुआवजे को प्रभावी करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित करें। नीति बैंक की वेबसाइट पर शिकायत के निपटान / वृद्धि की प्रक्रिया के विवरण के साथ प्रदर्शित की जानी चाहिए।

सबूत का भार

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में ग्राहक के दायित्व को साबित करने का भार बैंक पर होना चाहिए।

रिपोर्टिंग और निगरानी आवश्यकताएं

बैंकों को ग्राहक दायित्व मामलों की रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड या अपनी कोई समिति के लिए एक उपयुक्त तंत्र और ढांचे को अपनाना होगा। प्रत्येक बैंक में ग्राहक सेवा की स्थायी समिति को समय-समय पर ग्राहकों द्वारा रिपोर्ट की गई अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की समीक्षा की जानी चाहिए या अन्यथा, साथ ही उस पर की गई कार्रवाई, शिकायत निवारण तंत्र की कार्यपद्धति और सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11040&Mode=0>)

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लघु वित्त बैंक के रूप में 21 जुलाई 2017 से परिचालन शुरू किया है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में व्यवसाय करने के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया है।

दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद उन दस आवेदकों में से एक था, जिसे लघु वित्त बैंक के रूप में स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया था जैसाकि 16 सितंबर 2015 की प्रेस प्रकाशनी में घोषित किया गया था।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41147)

भुगतान बैंकों के ग्राहक खातों में जमाशेष

भुगतान बैंकों से प्राप्त टिप्पणियों/ प्रस्तावों के आधार पर और भुगतान बैंक मॉडल के वित्तीय समावेशन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 29 जून 2017 को भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करने के लिए सूचित किया है:

- भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों के कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में कार्य करने की अनुमति है। बीसी व्यवस्था के अधीन और ग्राहक की विशिष्ट अथवा सामान्य पूर्वानुमति से, भुगतान बैंक उसके द्वारा जमा निधियों को अन्य पात्र बैंक में उसके खाते में अंतरित कर सकता है, ताकि भुगतान बैंक में उसके खाते में जमाशेष ₹ 100,000 या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी ही किसी कमतर राशि से अधिक न हो।
- किसी भी समय, भुगतान बैंक को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अंतरिती बैंक सहित किसी अन्य बैंक में, ग्राहक के खाते में उपलब्ध निधियों का परिचालन कर सके अथवा तत्काल पहुँच प्राप्त कर सके। तथापि, किसी बैंक के बीसी के रूप में, भुगतान बैंक उस बैंक में ग्राहक के खाते से उसके द्वारा आहरण और अंतरण की सुविधा दे सकते हैं जिस बैंक का वह बीसी है।
- भुगतान बैंक किसी अन्य बैंक में ग्राहक के खाते में उपलब्ध जमाशेष के आधार पर, अथवा अन्य प्रकार से अपने ग्राहकों के लिए अंतर्दिवसीय निधियन सुविधाओं की न तो व्यवस्था करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
- भुगतान बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों के खाते की बारीकी से निगरानी करें, संदिग्ध लेनदेन की उस समय पहचानकर रिपोर्ट करें, जब जमा राशि/ लेनदेन की मात्रा ग्राहक के प्रोफाइल से मेल न खाती हो।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11017&Mode=0>)

सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के आवेदक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2017 को निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए। आज की तारीख में, रिज़र्व बैंक को यूईई एक्सचेंज एंड फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ है।

यह याद होगा कि निजी क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकों की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश 1 अगस्त 2016 को जारी किए गए जिनमें इंगित किया गया था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों के नाम आवधिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तदनुसार, आगे रिज़र्व बैंक तिमाही आधार पर आवेदकों के नाम प्रकाशित करेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40922)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 2017 को यह स्पष्ट किया कि ऐसे बैंकों में जहां निदेशक मंडल की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो वहां उन्हें निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में नामित करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह स्पष्टीकरण भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का गैर-कार्यपालक अध्यक्ष जो बैंक को समग्र नीति निर्देश देगा तथा और बैंक की दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) में विभाजन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11049&Mode=0>)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

एमएसएमई के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी में निवेश

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए, 13 जुलाई 2017 को रिज़र्व बैंक ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप

में उद्योग के वर्गीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश निश्चित करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों पर निर्भर हो सकते हैं :

- संयंत्र और मशीनरी की खरीद के इनवाइस की प्रति; या
- लेखा परिक्षित लेखों में दर्शाए अनुसार संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए समग्र सीमा (ब्लॉक); या
- संयंत्र और मशीनरी के खरीद मूल्य के बारे में सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उद्यमों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश हेतु संयंत्र और मशीनरी के खरीद मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए न कि बही मूल्य (खरीद मूल्य से मूल्यहास को घटाकर)।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11050&Mode=0>)

वित्तीय साक्षरता के लिए वित्तीय समावेशन निधि से निधिकरण सहायता में संशोधन

समीक्षा करने पर, 13 जुलाई 2017 को वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) सलाहकार बोर्ड के पारामर्श से रिज़र्व बैंक ने, बैंकों के लिए प्रति कैम्प ₹ 5,000/- के अधिकतम व्यय के अधीन कैम्प के व्यय के 60 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध निधियन सहायता संशोधित की है।

वित्तीय साक्षरता कैम्पों की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं को वित्तीय जागरूकता संदेशों पर ऑडीओ-विजुअल और पोस्टर दिखाने के लिए हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर और स्पीकर के संबंध में एफआईएफ से प्रति ग्रामीण शाखा/ एफएलसी से ₹ 5,000/- की अधिकतम प्रतिपूर्ति के अधीन हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर और पोर्टेबल स्पीकर (दोनों सहित) की खरीद के लिए किए गए व्यय के 50 प्रतिशत की सीमा तक का निधियन उपलब्ध किया जाएगा। एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय साक्षरता कैम्प के आयोजन में ऑडीओ-विजुअल का प्रयोग करें।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11052&Mode=0>)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश की समीक्षा की गई

मध्यम अवधि रूपरेखा की समीक्षा

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए वरीयता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसडीएल) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए मौजूदा मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) को पुनर्लेखित करने के लिए और उभरते पूंजी प्रवाह के समष्टि-विवेकपूर्ण प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए, एमटीएफ में निम्नलिखित संशोधन किए गए :

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) के लिए 5% और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए 2% की कुल सीमा अपरिवर्तित रही।
- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमा में भविष्य में निम्नलिखित अनुपात में बढोतरी आवंटित की जाएगी - 'लंबी अवधि' वाली एफपीआई के लिए 75% और 'सामान्य' श्रेणी के लिए 25%।
- 'लंबी अवधि' श्रेणी की अप्रयुक्त सीमाओं को 'सामान्य' श्रेणी के एफपीआई में अंतरित करने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा।

एसडीएल और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश को सुसंगत करने के लिए एसडीएल में भविष्य में बढोतरी एफपीआई की 'लंबी अवधि' श्रेणी के लिए 75% और 'सामान्य' श्रेणी के लिए 25% के अनुपात में होगी।

भविष्य में रिज़र्व बैंक, उभरती समष्टि-आर्थिक स्थितियों के अधीन एमटीएफ की कुछ विशेषताओं को विकसित करना जारी रखेगा।

सीमा के आवंटन और निगरानी से संबंधित परिचालनात्मक दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए जाएंगे।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11027&Mode=0>)

सहकारी बैंक विनियमन

खातों में प्रविष्टियों के ब्योरों को दर्ज करना

बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जुलाई 2017 को सभी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया कि पासबुक या/और खाता विवरण में प्रविष्टियों का समुचित विवरण दें ताकि खाताधारक उनकी प्रति-जांच कर सकें। सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि बैंक पासबुक में जमाराशि बीमा कवर के बारे में भी सूचना दें, जिसमें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन कवरेज की सीमा भी शामिल होगी।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को सूचित किया था कि पासबुक/खाता विवरण में जटिल प्रविष्टियाँ करने से बचें तथा संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा से बचाया जा सके।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11053&Mode=0>)

गैर बैंकिंग विनियमन

पीओपी सेवाएं – एनपीएस के तहत पीएफआरडीए

समीक्षा के उपरांत रिज़र्व बैंक ने 6 जुलाई 2017 को निर्णय लिया कि ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को, जो निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन करते हैं और जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में निवल लाभ प्राप्त किया है, को पीएफआरडीए के साथ पंजीकरण के पश्चात एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार की सेवा देने वाली पात्र एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगी कि जनता से एनपीएस अंशदान के रूप में स्वीकार की हुई राशि उसी दिन, जिस दिन इसे स्वीकार किया गया (टी+0 आधार पर; जहां टी नकदी अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हुई स्पष्ट निधि है) ट्रस्टी बैंक में जमा हो।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11041&Mode=0>)

सरकारी और बैंक लेखा

एजेंसी कमीशन का भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जून 2017 को यह स्पष्ट किया कि निम्नलिखित कार्य एजेंसी बैंक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं अतः एजेंसी कमीशन का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं हैं :

- सरकारी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एजेंसी बैंकों के माध्यम से बैंक गारंटी/सुरक्षा जमाराशि आदि प्रस्तुत करना, जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किया गया बैंकिंग लेनदेन है।
- स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय/नगरपालिका/कापोरेशन/स्थानीय निकायों का बैंकिंग व्यवसाय

गैर-सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आया है कि कुछ सहकारी संस्थाएं / प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां गैर-सदस्यों / नाममात्र सदस्यों / सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं। तदनुसार रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2017 की सतर्कता सूचना में बताया है कि इस तरह की सहकारी समितियों को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के तहत कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है और न ही उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने के

- स्वायत्तशासी/सांविधिक निकाय/नगरपालिका/कापोरेशन/स्थानीय निकायों को हुई हानियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पूँजी अंशदान/आर्थिक सहायता/अनुदान के रूप में पूँजी स्वरूप के भुगतान
- पूर्वनिधियन वाली योजनाएं, जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा (महा लेखानियंत्रक (सीजीए) के परामर्श से) और राज्य सरकार के विभागों द्वारा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11018&Mode=0>)

जुलाई 2017 में जारी भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर दिशानिर्देश/परिपत्र

मास्टर दिशानिर्देश/परिपत्र	जारी करने की तारीख
मास्टर परिपत्र – एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार करना – एजेंसी कमीशन का भुगतान	1 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र – एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण	1 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र शीर्ष बैंक योजना	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र – अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को ऋण सुविधाएं	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र – अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रेडिट सुविधाएं	3 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	3 जुलाई 2017
राहत/बचत बॉण्ड पर मास्टर दिशानिर्देश	4 जुलाई 2017
मास्टर दिशानिर्देश 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बैंक द्वारा राहत उपाय)	5 जुलाई 2017
मास्टर परिपत्र नकली नोटों का पता लगाना और जप्त करना	20 जुलाई 2016

लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। इन संस्थाओं के पास जमा की गई राशियों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा कवर उपलब्ध नहीं है। जनता के सदस्यों को ऐसी संस्थाओं से व्यवहार करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40925)